



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. एच. बी. पटेल
कुलसचिव (कार्यवाहक)

स्पीड पोस्ट/रजि. डाक/हाथ द्वारा

F. No. 55-84/2019-ACD/912

दिनांक: 22.12.2022

कार्यालयी आदेश संख्या. 34/AA- 2022-23

विषय: अनुप्रयुक्त पदार्थ विज्ञान संस्थान के अधिष्ठाता की नियुक्ति के संदर्भ में।
संदर्भ: माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 22.12.2022 को स्वीकृत।

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-13 के साथ पढ़े जाने वाले परिनियम 5(1) के अंतर्गत कुलपति को प्राप्त अधिकार का प्रयोग कर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति द्वारा सहर्ष अनुप्रयुक्त पदार्थ विज्ञान संस्थान के आचार्य, प्रो. प्रकाश सी. झा को अनुप्रयुक्त पदार्थ विज्ञान संस्थान के अधिष्ठाता के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति 24.12.2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

डॉ. प्रो. ए. बी. पटेल
कुलसचिव (कार्यकारी)

सेवा में,
प्रो. प्रकाश सी. झा
आचार्य
अनुप्रयुक्त पदार्थ विज्ञान संस्थान
गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

प्रति:

1. सभी अधिष्ठाता/अध्यक्ष और समन्वयक
2. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
3. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
4. उप कुलसचिव (अकादमिक एवं प्रशासनिक)
5. सहायक कुलसचिव (अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्त)
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी
7. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
8. मानव संसाधन विभाग- रिकॉर्ड के लिए
9. कुलपति सचिवालय
10. कार्यालयी आदेश फाइल
11. गार्ड फाइल